

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

(सामूहिक शिकायत आवेदन)

जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक -----

ग्राम ----- टोला ----- पंचायत----- प्रखंड -----
जिला -----

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-

अपर समाहर्ता

जिला ----- (झारखण्ड)

योजना के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:-

(1)

(2)

(3)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम सम्मत अधिकार दिलाया जाय. इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. धन्यवाद.

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार.

शिकायत आवेदकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र .सं.	शिकायतकर्ता का नाम	राशन कार्ड सं०	राशन कार्ड में दर्ज मात्रा	वास्तविक प्राप्त मात्रा	आवेदक का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

क्र .सं.	शिकायतकर्ता का नाम	राशन कार्ड सं०	राशन कार्ड में दर्ज मात्रा	वास्तविक प्राप्त मात्रा	आवेदक का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

संलग्न दस्तावेज (1)----- (2)----- (3)-----

(4)----- (5)----- (6)-----

मोबाईल सं० (1) ----- (2) ----- (3) -----

डीलर का नाम----- लाइसेंस सं०-----

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

(ब्याक्तिगत शिकायत आवेदन)

जन वितरण प्रणाली योजना

प्रेषक,

दिनांक -----

प्रेषित,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-

अपर समाहर्ता

जिला ----- (झारखण्ड)

योजना के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:-

(1)

(2)

(3)

अतः आपसे आग्रह है कि अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में नियम सम्मत अधिकार दिलाया जाय. इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय. धन्यवाद.

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड सरकार.

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम -----पिता/पति का नाम -----

कार्ड सं० -----/यदि है तो½

मोबाईल सं०-----/यदि है तो½

आधार कार्ड सं०-----/यदि है तो½

डीलर का नाम----- लाइसेंस सं०-----